न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/544/2003/धौलपुर

1– रामप्रसाद पुत्र ग्यासी निवासही ग्राम झोर तहसील व जिला धौलपुर।

..... **अपीलांट**

बनाम

1– नहनी पुत्री ग्यासी पत्नि कमलसिंह निवासी ग्राम बोर हाल आबाद बहबलपुर तहसील धौलपुर।
2– राजस्थान सरकार।

..... रैस्पोडेंट

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री जे0के0 पंत, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री अजयपाल डिढारिया अधिवक्ता रैस्पोडेंट सं0 1

निर्णय

दिनांक : 27 अगस्त, 2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–12–2002 अपील सं0 108/2000 बउनवानी नहनी बनाम रामप्रसाद व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिया/रेस्पो0 नहनी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 एवं इन्द्राज दुरूस्ती अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्यासी पुत्र चुन्नी अर्सा करीब 15 साल पूर्व फौत हो चुका है तथा ग्यारसी के दो पुत्र रामप्रसाद व भूरसिंह तथा तीन पुत्रिया बादामी, नहनी, कोकी हुए। बादामी का देहान्त करीब 6 वर्ष पूर्व हो चुका है। प्रतिवादी नं0 5 दौलतराम मु0 बादामी का पति, प्रतिवादी नं0 6 व 7 प्रतिवादी नं0 2 उनके पुत्र पुत्रियां है और बादामी के जायज वारिस है। प्रतिवादी नं0 7 मानदेवी नाबालिग है व उसके पिता दौलतराम के हित एक दूसरे के विपरीत नहीं है। आराजी ख0नं0 हाल 22 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा,

23 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 24 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, 24/1 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम झोर तहसील धौलपुर का खातेदार काश्तकार ग्यासी था तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्र रामप्रसाद व भूपसिंह तथा तीनों पुत्रयां जायद वारिस हुए और ग्यासी की मृत्यु के बाद उसका उक्त सम्पति पर बहैसियत वारिसान खातेदार काश्तकार काबिज है। वादनी नहनी के पिता के स्वर्गवास के बाद रामप्रसाद व भूपसिंह ने अपने नाम नामान्तकरण व निस्फ-निस्फ विवादित भूमि पर करा लिया जिसकी जाकनारी वादिया को नहीं हो सकी। जबकि वादिया अपने भाईयों के साथ सम्मिलित में काश्त करती रही। वादग्रस्त आराजी में से भूपसिंह ने वादिया की सहमति से निस्फ भाग 5 बीघा होता है जो जरिये रजिस्ट्री विक्रय कर प्रतिफल प्राप्त कर लिया। ग्यासी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र व पुत्रियां बहिस्सा बराबर सम्पूर्ण आराजी पर काबिज हुए जिसमें प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा हुआ। वादिया 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी रामप्रसाद अपने व भूपसिंह के नाम गलत दाखिल खारिज करा लेने के आधार पर अब निस्फ और 5 बीघा पर अपने आपको स्वार्धारी कहने लगा है। अब रामप्रसाद प्रतिवादी एक नम्बरान आराजी को विक्रय करना चाहता है जिसको उसे कोई अधिकार व हक नहीं है। अतः वादिया का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को पाबन्द किया जावें एवं बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर किया जावें। विचारण न्यायालय ने वादपत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब करते हुए तनकीयात कायम कर दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 12-7-2000 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिसकी प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिनहोंने भी अपने निर्णय दिनांक 13-12-2002 द्धारा अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12-7-2000 को अपास्त कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 13-12-2002 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- दोनो पक्षो के विद्धान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4- विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने वसीयत बहक अपीलांट एवं भूपसिंह दिनांक 4-3-1964 को साबित होना नहीं मानने में तथा जिस आधार पर विचारण न्यायालय ने इसे साबित माना पर विचार न कर विपरीत मत अपनाते हुए भारी त्रुटि कारित की है। वादी को उक्त वसीयत की पूर्ण जानकारी होने पर भी

यह दावा सन् 1992 अर्थात 27 साल बाद पेश किया है। वादी न सहकृषक है न कब्जा है तथा गलत आधार पर वाद पेश किया है। अपीलांट द्धारा अपीलीय न्यायालय में लिखित बहस भी पेश की थी किन्तु उस पर भी गौर नहीं किया गया। वसीयत के तथ्य को अन्य हिस्सेदारों ने स्वीकार किया है। अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के अनुसार निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि सभी तनकीयात को नियमानुसार तय नहीं किया है न ही जवाब दावे एवं साक्ष्य का भली–भांति अवलोकन किया गया। वादी ने इतने लम्बे अन्तराल तक वसीयत दिनांक 4–3–1964 को क्यों चैलेन्ज नहीं किया। इसलिए अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानून के विपरीत एवं न्यायिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में नहीं होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

5– इसके विपरीत विद्धान अधिवक्ता रैस्पोडेंट सं0 1 का तर्क है कि प्रकरण में मुख्य विवाद वसीयतनामें को लेकर था। अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारों की घोषणा के लिए दावा दायर किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 1 का निर्णय बिना साक्ष्य के विवेचन के मनमाने तरीके से किया गया। तथा तनकी सं0 2 के निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्धारा वसीयत को गलत तौर पर सिद्ध मानते हुए निर्णय पारित किया है जबकि वसीयत तमाम साक्ष्य से संदिग्ध एवं संदेहास्पद रही है। अपीलांट की अपील अपीलीय न्यायालय द्धारा सही स्वीकार की गयी है एवं 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार सही घोषित किया गया है। अपीलांट वसीयत को सिद्ध नहीं करा पाये एवं दूसरे गवाह कराये गये हैं, वसीयत के गवाह नहीं कराये गये हैं। अपीलांट द्धारा दावे में सम्पूर्ण क्लेम एक साथ प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसका प्रभाव आदेश 2 नियम 2 (2) सी0पी0सी0 के अन्तर्गत यह माना जाएगा कि दावे में शामिल नहीं गया, क्लेम छोड़ दिया गया है तथा भविष्य में दावा लाने के लिए हकदार नहीं होगें। इसलिए अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री उचित एवं कानून की मंशा अनुसार है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमने विद्धान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत अपील में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकीयात का विस्तृत विवेचन कर माना कि वादी अपने वाद को सिद्ध नहीं कर पाये हैं। अतः दावा वादिया खारिज किये जाने योग्य है। परीक्षण/अपीलीय न्यायालय के

द्धारा तनकीवार विवेचन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–7–2000 निरस्त किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी नं0 1 वसीयत को संदेह से पहे सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। अन्य वारिसों द्धारा किये गये राजीनामा को आधार मानकर वसीयत को सिद्ध नहीं माना जा सकता है। वसीयत को सिद्ध करने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 व 68 के अन्तर्गत कार्यवाही आवश्यक है। दस्तावेज के बाहर के गवाहों के बयानों अथवा राजीनामें के आधार पर वसीयत को सिद्ध नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्धारा तनकी नं0 2 व 1 का निर्णय गलत प्रकार से किया है। प्रकरण में वसीयत संदेह से परे सिद्ध होना नहीं पाया जाता है। वसीयत को सिद्ध नहीं माने जाने के बाद प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विरासत के आधार पर अधिकार प्राप्त होगें। अपीलांट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विवादित भूमि में 1/5 हिस्से की हकदार है। इस आधार पर अपीलांट को वादग्रस्त आराजी में 1/5 भाग पर खातेदार अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट एक सह कृषक है। एक सह कृषक की भूमि पर दूसरे सह कृषक का एडवर्श पजेशन नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलांट के शादी करने एवं ससुराल रहने से उसके हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

7– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलीय न्यायालय द्धारा सही रूप से अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया गया है।

8– अतः उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाकर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्धारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–12–2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(शिखर अग्रवाल)**

सदस्य **सदस्य**